

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान  
पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या  
260/2018

रजू दिनांक  
06.08.2018

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
22.01.2021

उनवान

1. श्रीराम
2. राजकारण
3. गोपीराम पुत्रान श्री सुरजभान जातियान अहीर निवासीयान फूसापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—: वादीगण

बनाम

1. लेखराम पुत्र बुधा
2. अमिताभ सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जातियान जाट निवासीयान बनीपुर तह0 बाबल जिला रेवाडी (हरि0)
3. सत्यापाल सिंह
4. संदीप कुमार पुत्रान श्री रामसिंह
5. सुनिता
6. प्रमीला पुत्रीयान श्री रामसिंह
7. भतेरी देवी पत्नी स्व0 श्री रामसिंह
8. रणधीर
9. अचलसिंह पुत्रान श्री रामस्वरूप
10. शकुन्तला देवी
11. फुलवती देवी
12. इन्द्रा देवी पुत्रीयान रामस्वरूप
13. देशराम पुत्र श्री उमराव
14. शीशराम
15. लखीराम पुत्रान श्री बुधराम
16. योगेश कुमार
17. सुदेश कुमार पुत्रान श्री वीरसिंह
18. परमिला पुत्री श्री वीरसिंह
19. सरला देवी पत्नी श्री वीरसिंह
20. किताब देवी पत्नी श्री श्रीराम
21. राजेन्द्र
22. विजेन्द्र
23. सुभाष पुत्रान श्री श्रीराम जातियान जाट निवासीयान सरायकलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
24. अजयसिंह
25. सतीश कुमार
26. महीपालसिंह पुत्रान जगराम
27. राजेश कुमार
28. नरेश कुमार श्री ओमप्रकाश जातियान जाट निवासी रुंध तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि0)
29. रामपत पुत्र रतीराम

२५६-  
उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०



30. नारायणी पत्नी प्यारेलाल
31. सुशीला पत्नी श्री जसवन्त
32. मीना कुमारी
33. अनिता कुमारी
34. प्रीता कुमारी
35. मनिषा कुमारी
36. प्रिया कुमारी
37. कृपा कुमारी पुत्रीयान श्री जसवन्त
38. ललित कुमार पुत्र श्री जसवन्त जातियान जाट निवासीयान सरायकला तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
39. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0
40. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बी आर के जी बी शाखा बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—: प्रतिवादीगण

दावा— तकासमा आराजी बम्य हु0 ई0 दवामी

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र माढैया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 22.01.2021 को रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

“तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी वकिल द्वारा सहमति जाहीर करने पर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम सराय कलां तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 88 रकबा 0.15 है0, आराजी खसरा नं0 89 रकबा 0.15 है0, आराजी खसरा नं0 90 रकबा 0.31 है0, आराजी खसरा नं0 177 रकबा 0.48 है0, आराजी खसरा नं0 176 रकबा 0.48 है0, आराजी खसरा नं0 174 रकबा 0.48 है0, आराजी खसरा नं0 175 रकबा 0.48 है0, आराजी खसरा नं0 87 रकबा 0.53 है0, अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श “अ” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।”

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.01.2021 को भेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

रामसिंह राजावत  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मुण्डावर जिला अलवर राज0